



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

“वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा” शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

फोन नं० : ०५२२-२२८७८६९६

पत्रांक : ५२०८०अभि० (वाणिज्य-II) / रेड इकाई / डिस्काम,
प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा।

दिनांक : १९ / ०७ / २०१८

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय : विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरुद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरुद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के द्वारा पत्र संख्या-1455 / चौबीस-पी-२-२०१८ / सा०(६०) / २०१८ दिनांक 16.07.2018 जारी किया गया है जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर सभी वितरण निगमों को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगनकः-यथोपरि।

भवदीय,

(र०के० श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक: ५२० / म०अभि० (वाणिज्य-II) / तददिनांक: १९ / ०७ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा, एवं केस्को, कानपुर।
- मुख्य अभि०(वाणिज्य-प्रथम) / (द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा, एवं केस्को, कानपुर।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण मण्डल), पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा, एवं केस्को, कानपुर को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) / उपखण्ड अधिकारी, पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा, एवं केस्को, कानपुर को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ।

सलंगनकः-यथोपरि।

(र०के० श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग-2

लेखनक्रम : दिनांक: 16 जुलाई, 2018

विषय : विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरुद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही सम्पन्न कराने और इस अभियान में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके विरुद्ध मारपीट अथवा हिंसात्मक घटना की स्थिति में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1010/24-पी-3-2018-बैठक-227/2015, दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

2- प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसमें जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। कुछ स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही के दौरान तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्तियों तथा अराजक तत्वों द्वारा विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों/कर्मचारी के साथ मारपीट/हिंसा की घटनाएं सूचित की गई हैं। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक संचालित होने और विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में कोई कठिनाई न आए। तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना रहे और उनका मनोबल किसी प्रकार से कम न हो।

3- उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट/हिंसा के प्रकरणों में तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें अपराध की गमीरता के अनुरूप कानून की धाराओं को लगाया जाए और उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश प्राविधिक अनुसार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4- इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332, 333 तथा 353 में लोक सेवकों को क्षति/गमीर क्षति पहुँचाने अथवा उन पर हमला करने के अपराधों के सम्बन्ध में सम्बन्धित दण्ड का प्राविधिक है। इन धाराओं का गमीर प्रकरणों में उपयोग किया जाए। इन धाराओं में अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 में यह भी प्राविधिक है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। सभी विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कप्पनी यू०पी०पी०सी०एल० की पूर्णतया सब्सिडी है।

①.E.(Com-2)
मध्य MDs, CEEs, SEs, IESs
केंद्रीय नियमों का प्रयोग की
500 का प्रयोग की
उत्तर प्रदेश सरकार की
नियमों का प्रयोग की

SE (Raid)

557/DC/PCU/6/18
18/7/18

5- उक्त के अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट 1932 की धारा-7 में भी किसी व्यक्ति को अपने कार्य से रोकने, डराने तथा धमकाने के लिए पर्याप्त प्राविधान उपलब्ध हैं जिनका उपयोग भी गम्भीरता के दृष्टिगत ऐसे प्रकरणों में किया जा सकता है।

6- यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के प्राविधानों का उपयोग पब्लिक आर्डर बनाए रखने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाए रखने के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों में भी किया जा सकता है। विद्युत आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक सेवाओं में समिलित है अतः अत्यन्त गम्भीर प्रकरणों में इस कानून के प्राविधानों का भी उपयोग करने पर कृपया विचार कर लिया जाए।

7- यदि लोक सम्पत्ति को क्षति का प्रकरण हो तो लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-3 एवं 4 (यथाप्रभावी) भी प्रयोग की जाए।

8- विद्युत चोरी की प्रभावी रोकथाम करना शासन की उच्च प्राथमिकताओं में समिलित है। अतः कृपया विद्युत चोरी की रोकथाम करने अथवा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट अथवा हिंसा के प्रकरणों में जनपद स्तर पर नियमानुसारं तत्परता से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और ऐसे प्रकरणों की गम्भीरता के दृष्टिगत वर्तमान कानूनों में उपलब्ध प्राविधानों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या: 1455/1/ चौबीस-पी-2-2018 / सा०(६०) / 2018, तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन, उ०प्र० शासन।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, मेरठ/पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा/केरल, कानपुर।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

M. L. P.
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव